न्यायालय सहायक कलक्टर बाप, जिला–जोधपुर
बइजलास पीठासीन अधिकारी श्री महावीर सिंह (आर.ए.एस.)

प्रार्थीगण
1. जोधा पुत्री गुमानाराम पत्नि बीरबलराम जाति विश्नोई निवासी डाबर तहसील लोहावट
2. उदाराम पुत्र दाणुराम जाति विश्नोई नि. जम्भेश्वरनगर तहसील बाप जिला जोधपुर
3. रतनसिंह पुत्र बीरबलराम
4. मोहनराम पुत्र बीरबलराम
5. भंवरसिंह पुत्र बीरबलराम जाति विश्नोई निवासीगण राणेरी तहसील बाप जिला जोधपुर

बनाम

अप्रार्थीगण
1. मंगलाराम पुत्र गुमानाराम जाति विश्नोई निवासी कोडियानाडा केलनसर तहसील बाप जिला जोधपुर (राज.)
2. रामदा पत्नि जीवणराम
3. रामनारायण पुत्र जीवणराम
4. हड़मानराम पुत्र धूड़ाराम जाति विश्नोई निवासी कोडियानाडा केलनसर तहसील बाप जिला जोधपुर
5. शाखा प्रबन्धक एस.बी.आई शाखा आउ

राजस्व प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा नम्बर :– 70/2019

उपस्थित अधिवक्ता :–

1. प्रार्थीगण की ओर से श्री राजेन्द्रसिंह सोलंकी
2. अप्रार्थी संख्या 2 व 3 की ओर से श्री ओमप्रकाश गोदारा
3. शेष अप्रार्थी गैर हाजिर

दिनांक :– 25.10.2019

निर्णय

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त में सार निम्नानुसार है कि प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरूद्व एक नियमित राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,188,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया है। उक्त वाद के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात से प्रार्थीगण का वाद पूर्णतः साबित होना बताया है और प्रार्थीगण को उक्त वाद में सफलता मिलने की पूरी–पूरी उम्मीद है। वाद ग्रस्त भूमि खसरा नंबर 112 रकबा 75.06 बीघा व खसरा नंबर 103 रकबा 129.06 बीघा ग्राम केलनसर वर्तमान नवसृजित ग्राम कोडियानाडा पटवार क्षेत्र केलनसर तहसील बाप जिला जोधपुर में स्थित है। उक्त भूमि पूर्व में प्रार्थीया संख्या 1 के

सहायक कलक्टर
(जिला जोधपुर) राज.

Scanned by CamScanner

पिता अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 5 के नाना व अप्रार्थी संख्या 1 के पिता गुमानाराम पुत्र हरदासराम के नाम राजस्व रेकर्ड मे दर्ज थी।

अप्रार्थी संख्या 1 के पिता गुमानाराम पुत्र हरदासराम फौत हो चुके है जिसके वारिसान निम्न प्रकार से है:–

गुमानाराम पुत्र हरदासराम (फौत)

मंगलाराम पुत्र	जोधा पुत्री	अमरी (फौत) पुत्री	चनणी (फौत) पुत्री

अमरी (फौत) पुत्री
बगती
पुत्री
उदाराम
पुत्र

रतनसिंह पुत्र	मोहनराम पुत्र	भंवरसिंह पुत्र

उपरोक्त वंशावली अनुसार गुमानाराम के हिस्से की भूमि मे गुमानाराम के वारिसान पुत्रियां जोधा, अमरी, चनणी व पुत्र मंगलाराम हुए और इसी अनुसार ही मौके पर काबिज है लेकिन जब गुमानाराम पुत्र हरदासराम फौत हुए तो अप्रार्थी संख्या 1 ने पटवारी हल्का से मिलावट कर गुमानाराम की पुत्रियों जोधा, अमरी व चनणी से बाले बाले मुतवफी गुमानाराम पुत्र हरदासराम के फौतेदगी का नामान्तरकरण संख्या 402 मौजा केलनसर अपने अकेले के नाम से गुमानाराम के पुत्रियों को शामिल किये बगैर ही भरवाकर सरासर गलत तरीके से स्वीकृत करवा लिया। जबकि जोधा, अमरी व चनणी भी गुमानाराम पुत्र हरदासराम की जायन्दा वारिसान थी और उक्त भूमि पर प्रार्थीगण का अपने पैतृक 3/4 हिस्से पर कब्जा व काश्त आज दिन तक लगातार शांतिपूर्वक चला आ रहा है। अप्रार्थी संख्या 1 ने खसरा नबर 103 रकबा 129.06 बीघा भूमि का एक पारिवारिक बंटवाडा उक्त भूमि के सहखातेदारो क मध्य करवा लिया था और उक्त बंटवाडा अनुसार अप्रार्थी संख्या 1 के नाम खसरा नंबर 103/1 रकबा 25.18 बीघा भूमि बंट मे रखी गई लेकिन उक्त भूमि पर अप्रार्थी संख्या 1 का कभी अकेले का कब्जा काश्त नही रहा इसलिये प्रार्थीगण नामान्तरकरण संख्या 402 मौजा केलनसर को निरस्त करवा कर ग्राम कोडियानाडा पटवार क्षेत्र केलनसर तहसील बाप जिला जोधपुर के खसरा नबर 112 रकबा 75.06 बीघा भूमि में अपने पैतृक 3/8 हिस्से व खसरा नबर 103/1 रकबा 25.18 बीघा भूमि में अपने पैतृक हिस्से 3/4 की खातेदारी की घोषणा करवाने की अधिकारी है जिसका यह प्रार्थना पत्र पेश किया है।

उक्त भूमि पर प्रार्थीगण का अपने पैतृक हिस्से पर कब्जा व काश्त आज दिन तक लगातार शांतिपूर्वक चला आ रहा है। उक्त वादग्रस्त भूमि पैतृक सम्पति है जो राजस्व रेकर्ड से प्रमाणित है जिस पर प्रार्थीगण का अपने हिस्से की भूमि पर अपनी अलग रहवासी ढाणी, पानी का टाका इत्यादि बना रखे है तथा प्रत्येक वर्ष काश्त कर प्राकृतिक पैदावार का उपयोग व उपभोग लेते आ रहे है। लेकिन उक्त भूमि अप्रार्थी संख्या 1 ने अपने अकेले के नाम राजस्व रेकर्ड मे दर्ज करवा लेने से और उक्त गलत राजस्व इन्द्राज का फायदा उठाते हुए अप्रार्थी संख्या 1 ने अपने नाम गलत रूप से दर्ज भूमि खसरा नंबर 103/1 रकबा 25.18 बीघा सम्पूर्ण

Scanned by CamScanner

भूमि का कागजी बैचान अप्रार्थी संख्या 2 को कर दिया और उक्त कागजी बैचान के आधार पर अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष मे नामान्तरकरण संख्या 45 मौजा कोडियानाडा भरा जाकर स्वीकृत हुआ एवं अप्रार्थी संख्या 2 ने अपने नाम दर्ज भूमि खसरा नंबर 103/1 रकबा 25.18 बीघा मे से रकबा 3.00 बीघा भूमि अप्रार्थी संख्या 3 को कागजी बख्शीशनामा कर दिया और उक्त कागजी बख्शीशनामा के आधार पर अप्रार्थी संख्या 3 के पक्ष मे नामान्तरकरण संख्या 178 मौजा कोडियानाडा भरा जाकर स्वीकृत हुआ। पटवारी हल्का द्वारा बिना बटवाड़ा किये अप्रार्थी संख्या 3 का अलग खाता सरासर गलत तरीके से कायम कर दिया जिसके खसरा नंबर 103/5 रकबा 3.00 बीघा है। जबकि खसरा नंबर 103/1 रकबा 25.18 बीघा सम्पूर्ण भूमि पर अप्रार्थी संख्या 2 व 3 का कभी भी कब्जा काश्त नही रहा है। अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के पक्ष मे किये गये बैचान व बख्शीशनामा शुरू से ही प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकारो के विरूद्ध शून्य एवं प्रभावहीन है। इसलिए प्रार्थीगण उक्त पैतृक भूमि मे भरे गये नामान्तरकरण संख्या 402 मौजा केलनसर तथा नामान्तरकरण संख्या 45 व 178 मौजा कोडियानाडा को निरस्त करवा कर ग्राम कोडियानाडा पटवार क्षेत्र केलनसर तहसील बाप जिला जोधपुर के खसरा नंबर 103/1 रकबा 25.18 बीघा भूमि मे अपने पैतृक 3/4 हिस्से व खसरा नंबर 112 रकबा 75.06 बीघा भूमि में अपने पैतृक 3/8 हिस्से की खातेदारी घोषणा करवाने का अधिकारी है। अतः अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थीगण के पक्ष में और ग्राम कोडियानाडा पटवार क्षेत्र केलनसर के खसरा नंबर 103/1 रकबा 25.18 बीघा भूमि मे अपन पैतृक 3/4 हिस्से व खसरा नंबर 112 रकबा 75.06 बीघा भूमि में अपने पैतृक 3/8 हिस्से मे चले आ रहे शातिपूर्वक कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखल अंदाजी न तो अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 स्वंय करे और न ही किसी अन्य से करावे। जिसका यह प्रार्थना पत्र पेश किया है।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये समन तलब किया गया। समन बाद तामिल प्राप्त होने पर अप्रार्थी संख्या 2 व 3 की ओर से वकील श्री ओमप्रकाश गोदारा ने वकालतनामा व जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया जो शामिल मिसल किये गये। वकील अप्रार्थी संख्या 2 व 3 ने प्रार्थना-पत्र आवश्यक सुनवाई का पेश किया जिस मिसल तलब होकर पेश हुई। सीधे ही प्रार्थना पत्र पर अतिम बहस हेतु निवेदन किया।

वकील प्रार्थीगण ने बहस में प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम केलनसर के खसरा नंबर 112 रकबा 75.06 बीघा, खसरा नंबर 103 रकबा 29.06 बीघा पूर्व मे प्रार्थी संख्या 1 पिता और 2 ता 5 के नाना गुमानाराम पि. हरदासराम के नाम दर्ज थी। गुमानाराम के फौत होने पर उनकी फौतेदगी नामान्तरकरण संख्या 402 मौजा केलनसर भरा जाकर स्वीकृत हुआ उक्त नामान्तरकरण अप्रार्थी संख्या 1 गुमानाराम के पुत्र के नाम से भरा जाकर स्वीकृत हुआ। जबकि गुमानाराम के उस समय तीन बेटियां थी उनका नाम जोधा, अमरी व चनणी है। अप्रार्थी संख्या 1 ने उक्त सम्पूर्ण भूमि केवल अपने नाम दज करवा ली बहनो का नाम दर्ज नहीं करवाया। अप्रार्थी संख्या 1 ने अपने पिता से प्राप्त हुई भूमि का बाद में बंटवाड़ा करवा लिया अप्रार्थी संख्या 1 के बंट में खसरा नंबर 103/1 रकबा 25.18 बीघा बंट मे आई जबकि मौके पर 3/4 हिस्से पर गुमानाराम की तीनों पुत्रियों का कब्जा काश्त

उप कलक्टर
बाप (जोधपुर) राज.

Scanned by CamScanner

था। अप्रार्थी संख्या 1 ने अपने दर्ज भूमि का गलत फायदा उठाते हुए अप्रार्थी संख्या 2 को
कागजी बेचान कर दिया अतः उपरोक्त तथ्यों को ध्यान मे रखते हुये अस्थाई निषेधाज्ञा मादावा
फैसला जारी की जावे। प्रार्थी वकील ने अपने कथनो के संबंध मे नजीरे पेश की जो हिन्दू
विधि धारा 10 की प्रति, आर.आर.डी 1996 के पृष्ठ 149, 153 श्री देवीलाल उर्फ देवशंकर व
अन्य बनाम कमलाशंकर व अन्य (51रिविजन नं. 73/उदयपुर ऑफ 91 निर्णय दिनाक 21
नवम्बर 1995) माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर निगरानी संख्या एलआर
संख्या 1555/2017 अनचान सुगनी बनाम दुर्गाराम निर्णय दिनाक 04.09.2019 की प्रति पेश
की।

वकील अप्रार्थी ने अपनी बहस मे कथन किया कि वाद मे वकील प्रार्थी द्वारा हितबद्ध
पक्षकारो को उक्त प्रार्थना पत्र मे पक्षकार नही बनाया गया है। अतः उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत
आदेश 1 नियम 9 सी.पी.सी मे खारिज योग्य है। उन्होने बताया कि अप्रार्थी संख्या 1 तथा 2
का पति एवं 3 के पिता काका बाबा के भाई है। वादग्रस्त भूमि वक्त सेटलमेंट गुमानाराम
सिद्धाराम पिता हरदासराम के नाम से दर्ज थी। बाद मे गुमानाराम की मृत्यु होने पर फौतेदगी
नामान्तरकरण संख्या 402 दिनाक 26.05.1989 को भरा जाकर स्वीकृत हुआ। जिसमे
1/2-1/2 मंगलाराम व सिद्धाराम के नाम दर्ज हुई फिर नामान्तरकरण संख्या 427 आपसी
सहमति से तहसीलदार के समक्ष बटवाडा प्रस्तुत हुआ। उसी बटवाडे से अप्रार्थी संख्या 1 को
खसरा नंबर 103/1 के जरिये 25.18 बीघा भूमि बट मे आई। आपसी सहमति से हुए बटवाडे
को राजस्व न्यायालय का क्षेत्राधिकार नही होने से प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। वकील
अप्रार्थी ने बताया कि हम सद्भावी क्रेता है पैसे देकर जमीन खरीदी है। मंगलाराम के नाम से
अन्य सम्पति पडी है जो खसरा नंबर 573/1 रकबा 36.00 बीघा है। वर्तमान मे हम रेकर्डडेड
खातेदार है। रेकर्डडेड खातेदार को खातेदारी अधिकारो से वंचित किया जाना न्यायोचित नही
है। वर्तमान में हमारी खातेदारी भूमि मे विधुत कनेक्शन स्वीकृत हुआ है। प्रार्थी जानबूझ कर
प्रार्थना-पत्र मे स्थगन आदेश प्राप्त कर अप्रार्थी संख्या 2 व 3 को नलकूप खुदवाने से वंचित
करना चाहते है। जो कि गलत है। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णीय क्षति
के तीनो बिन्दु अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के पक्ष मे बनने के कारण अस्थाई निषेधाज्ञा
खारिज फरमाई जावे। वकील अप्रार्थी ने अपने कथनों के समर्थन मे हिन्दू उत्तराधिकार
अधिनियम 1956 अध्याय 2 पृष्ठ संख्या 99 से 101 की नजीरे पेश की।

वकुलाय पक्षकारान् की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन
किया गया। वकुलाय पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत नजीरो का अवलोकन किया गया। बहस पर
मनन किया गया बाद मनन एवं चिन्तन के पाया गया कि वादग्रस्त भूमि पूर्व मे गुमानाराम व
सिद्धाराम पुत्र हरदासराम के नाम राजस्व रेकर्ड मे दर्ज थी। गुमानाराम की मृत्यु के पश्चात
गुमानाराम के हिस्से की भूमि अप्रार्थी संख्या 1 मंगलाराम के नाम दर्ज हो गई। जो कि
नामान्तरकरण संख्या 402 मौजा केलनसर से साबित है। प्रार्थीगण संख्या 1 अपने पिता की
हिस्से की भूमि में हक प्राप्त करने की अधिकारीणी है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर
प्रथम दृष्टया मामाला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति के तीनों बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष
मे बनने पाये जाते है।

Scanned by CamScanner

आदेश

अतः अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थीगण के पक्ष विरूद्ध अप्रार्थीगण संख्या 1 से 4 तादाद फैसला इस आशय की जारी की जाती है कि राजस्व ग्राम कोडियानाडा पटवार मण्डल केलनसर तहसील बाप जिला जोधपुर के खसरा नबर 103/1 रकबा 25.18 बीघा भूमि में प्रार्थीगण के 3/4 हिस्सा व खसरा नबर 112 रकबा 75.06 बीघा मे प्रार्थीगण के 3/8 हिस्से की भूमि राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखेगे। मिसल फैसल शुमार होकर नबर से कम हो तथा मूल वाद के साथ नत्थी हो।

निर्णय सरे ईजलास आज दिनांक 25.10.2019 को सुनाया गया।

(गजवीर सिंह)
सहायक कलक्टर
बाप (जिला (जोधपुर) राज.

Scanned by CamScanner